न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–118/2016/भीलवाड़ा (2016/00015)

1. अब्दुल रज्जाक पुत्र मेहताब खां,
2. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल रज्जाक,
3. अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल रज्जाक,
   समस्त निवासी वार्ड नंबर 34, पंचमुखी रोड़ बाहला, हुसैनी चौक, भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती वहीदन बेगम पुत्री मेहताब खां पत्नि अब्दुल लतीफ, निवासी वार्ड नंबर 34, हुसैन चौक, भीलवाड़ा ।
2. श्रीमती हमीदा बेगम पुत्री स्व0 मेहताब खां पत्नि इकबाल खां, निवासी इंद्रा कॉलोनी, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा ।
3. श्रीमती ईदाबाई पुत्री मेहताब खां पत्नि वासिन खां, निवासी हुसैनी कॉलोनी, भोपालपुरा रोड़, भीलवाड़ा ।
4. श्रीमती मरीयन पुत्री मेहताब खां पत्नि फकीर मौहम्मद पठान, नि0 तेजाजी चौक, भीलवाड़ा ।
5. श्रीमती मुन्नी पुत्री मेहताब खां पत्नि हसन खां, निवासी उ0प्रा0 विद्यालय, गंगरार के पास, गंगरार, जिला चित्तोड़गढ़ हाल जनता गेस्ट हाउस पैच एरिया, भीलवाड़ा ।
6. रफीक खां पुत्र महताब खां, निवासी मौहम्मदी कॉलोनी, उ0प्रा0 विद्यालय, मौहम्मदी कॉलोनी के पास, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़ ।
9. उप पंजीयक, भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, भीलवाड़ा दिनांक 12.12.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 8/2013.

उपस्थितः–

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री गौतम टांक, वकील रेस्पोडेंट्स सं0 1 से 5.
3. रेस्पो0 संख्या 6 लगायत 7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 28.2.2018

अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस संख्या 1 के पिता एवं अपीलांट संख्या 2 व 3 के पितामह मेहताब खां द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र ग्राम भोरी में स्थित भूमि कुल रकबा 1–17–00 बीघा दिनांक 27.6.1991 को क्रय कर विक्रय पत्र अपने पक्ष में पंजीकृत कराया, तत्पश्चात् ग्राम सियार पटवारी हल्का आमली की कृषि भूमि कुल रकबा 20–07–00 बीघा मेहताब खां द्वारा खातेदार से क्रय की गई । इसी प्रकार ग्राम कलून्दिया में भी मेहताब खां के नाम खातेदारी की भूमि थी । मेहताब खां ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत अपीलांटस के पक्ष में निष्पादित कर दी तथा मेहताब खां की मृत्यु के पश्चात् कृषि भूमि के नामांतकरण हेतु अपीलांटस ने आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का ने जांच कर वसीयत के संबंध में आपत्ति बाबत् समाचार पत्र में नोटिस जारी करवाने हेतु टिप्पणी की जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.2.2012 को सार्वजनिक आपत्ति समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई । तत्पश्चात् प्रकरण में जांच की जाकर अपीलांटस के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतकरण पारित किये जाने के आदेश तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 10.5.2012 को जारी किये गये । तहसीलदार, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 10.5.2012 के विरूद्ध प्रत्यर्थी वहीदन एवं हमीदा द्वारा जिला कलक्टर, भीलवाडा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने निर्णय दिनांक 7.1.2013 को पारित करते हुए मेहताब खां के विधिक वारिसान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया । रिमाण्ड आदेश की पालना में तहसीलदार, भीलवाड़ा ने वसीयत को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.12.2015 को पारित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को तहसीलदार, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रकरण के लंबित रहते प्रकरण के नोटिस तामील नहीं हुए । दिनांक 19.9.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण के पास

विवादित भूमि बाबत् अपना नाम अंकित हो जाने के कारण इस भूमि को प्रार्थीगण को बेचने का प्रस्ताव दिया तथा विकल्प में भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी जाने पर प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से जानकारी करने का प्रयास किया एवं तब जाकर प्रार्थीगण को तहसीलदार, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 12.12.2015 की जानकारी हुई । तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने आवश्यक खर्चे व कागजात एकत्रित कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

4- प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, भीलवाडा के न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहते न तो फर्द अहकाम अंकित की गई है एव ंना ही कोई सूचना वास्तविक पते पर कभी तामील हेतु भेजी गई है । तहसीलदार, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रत्यर्थीगण ने दुरभि संधि करके एकतरफा में आदेश दिनांक 12.12.2015 पारित करवाया है जो अवैध होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अभिलेख पर उपलब्ध वसीयत, गवाहों के शपथ पत्र पर बिना विचार किये तहसीलदार ने वसीयत को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए मेहताब खां के वारिसान को सुनने बाबत् निर्देश था एवं वसीयत को नजरअंदाज करने बाबत् कोई निष्कर्ष क्रियात्मक भाग में अंकित नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि पक्षकारान मुस्लिम समाज के सदस्य होने के बावजूद तहसीलदार ने मुस्लिम विधि को समझे बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । प्रश्नगत भूमि के खातेदार मेहताब की स्वअर्जित सम्पति बाबत् वसीयत को किसी भी प्रकार गलत नहीं माना जा सकता है। ग्राम भोली की कृषि भूमि खसरा संख्या 1071, खसरा संख्या 1084/2 कुल रकबा 1–17–00 बीघा भूमि जरिये वसीयत मेहताब खां ने अपीलांटस के पक्ष में वसीयत की थी, इसलिय अपीलांटस के पक्ष में वसीयत की गई भूमि बाबत् भी तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा मेहताब खां के समस्त वारिसान के नाम अंकन करने का जारी आदेश अवैध एवं शून्य है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन किया कि पक्षकारान मुस्लिम समाज के व्यक्ति है इसलिये तहसीलदार को मुस्लिम विधि के अनुसार नामांतकरण बाबत् आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु तहसीलदार ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 अपास्त किया जावे ।xx

5- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 5 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । मेहताब खां द्वारा कभी भी अपीलांटस के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की गई थी एवं तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित है । वसीयत को लेकर जहां विवाद हो वहां वसीयत को

सक्षम न्यायालय से साबित करवाना आवश्यक है किन्तु अपीलांट्स द्वारा वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रमाणित नहीं करवाया गया है। अपीलांट्स को विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड करने की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांट्स तहसीलदार के समक्ष उपस्थित नही हुए तथा विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक नहीं है । तहसीलदार ने विवादित आराजियात को विरासत के आधार पर मेहताब खां के वारिसान के नाम दर्ज करने के जो आदेश दिये है वे विधिसम्मत् है । अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 में जो तथ्य नहीं उठाये उन्हें अब अपीलीय न्यायालय में नहीं उठा सकते है। तहसीलदार ने प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत विवादित आराजियात मृतक मेहताब खां के विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2003 (2) पेज 870, डी0एन0जे0 2014 पेज 57, आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1099, आर0आर0टी0 2016–17 पेज 158, सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 579, आर0आर0डी0 1988 पेज 143, सुप्रीमकोर्ट पेज 2181, आर0आर0डी0 1995 पेज 499, आर0आर0डी0 1990 पेज 364, आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 500, आर0बी0जे0 2005 पेज 132, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 117 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी किसी भी प्रकरण का मियाद के बिन्दू पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । अतः हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना आवश्यक समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण में गुणावगुण पर न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 12.12.2015 को अवलोकन किया । तहसीलदार ने प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत ग्राम भोली, तहसील भीलवाड़ा के आराजी नंबर 1071, 1084/2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.17 बीघा को स्व0 मेहताब खां पि0 रमजूखां पठान के बजाय विरासत से रफीक मोहम्मद, अब्दुल रज्जाक पुत्र मेहताब खां, ईदन उर्फ ईदाबाई, छोटी उर्फ वहीदन, अमीदा उर्फ हमीदा, मरियम व मुन्नी पुत्री मेहताब खां पठान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश पारित किये है । दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट्स ने यह कथन किया कि पक्षकारान मुस्लिम समाज के सदस्य होने के बावजूद तहसीलदार ने मुस्लिम विधि को समझे बिना तथा वसीयत को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो

विधिविरूद्ध है । अभिभाषक रेस्पो0 के इस कथन से हम सहमत है कि अपंजीकृत वसीयत के संबंध में विवाद होने के स्थिति में सक्षम न्यायालय से प्रोबेट कराये बिना वसीयतग्रहिता कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है । अपीलांट्स ने वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट कराये जाने के संबंध में तहसीलदार, भीलवाड़ा एवं न्यायालय हाजा के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है परन्तु दूसरी ओर हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स के इस कथन से सहमत है कि पक्षकारान मुस्लिम समाज के सदस्य होने से खातेदार की मृत्यु होने पर उसकी सम्पति मुस्लिम विधि अनुसार पुत्र एवं पुत्रियों में समाहित होगी किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 12.12.2015 में मुस्लिम विधि अनुसार नामांतकरण की कार्यवाही के संबंध में कोई निर्देश न देकर मृतक खातेदार मेहताब खां पठान के समस्त वारिसान पुत्र एवं पुत्रियों के नाम विवादित आराजियात दर्ज करने के आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । मुस्लिम विधि अनुसार मृतक खातेदार पिता की मृत्यु होने पर उसकी विधवा को 1/8 हिस्सा, तथा पुत्रों का 1/2 हिस्सा एवं पुत्रियों में 1/6 हिस्से का प्रावधान है । तहसीलदार को अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय मुस्लिम विधि अनुसार मृतक खातेदार के पुत्र एवं पुत्रियों में विवादित आराजियात दर्ज करने के संबंध में आदेश पारित करने चाहिये थे । अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 118/2016 (2016/00015) बउनवानी अब्दुल रज्जाक बनाम श्रीमती वहीदन बैगम व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 8/2013 बउनवान श्रीमती वहीदन बेगम बनाम रफीक खां व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतितप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि मुस्लिम विधि अनुसार मृतक खातेदार मेहताब खां के विधिक वारिसान पुत्र एवं पुत्रियों में उक्त प्रावधन में प्रावधित हिस्से अनुसार विवादित आराजियात दर्ज करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 28.2.2018को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर